राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपीडी/टी.ए./8749/2006/जैसलमेर

1– भोजराज सिंह
2– दुर्ग सिंह } पुत्रान बगत सिंह
3– हेमसिंह
4– धन सिंह
5– देवी सिंह
6– शम्भू सिंह } पुत्रान गोरधन सिंह
7– भंवर सिंह
8– मगसिंह
9– जितेन्द्र सिंह नाबा0 जरिये कुदरती बली माता प्रेमकंवर पत्नी गोरधन सिंह
10– प्रेमकॅवर बेवा गोरधन सिंह
समस्त जाति राजपूत, निवासीगण दुधली की ढाणी, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर।

.....अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार

.....रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ

श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित–
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी
श्रीमती पूनम माथुर, अति0 राजकीय अभिभाषक रैस्पो0

निर्णय

दिनांक : 23.09.2019

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, (बाडमेर–जैसलमेर), मु0 जोधपुर द्वारा अपील संख्या 27/2006 शीर्षक 'भोजराज सिंह बनाम तेहसीलदार, पोकरण' में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–09–2006 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलार्थीगण ने एक राजस्व वाद प्रतिवादी/वर्तमान रैस्पो0 के विरुद्ध अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर, पोकरण के समक्ष इस आशय का पेश किया कि मौजा भणियाणा, अब दूधली की ढाणी में खसरा नम्बर 625 जिसका कुल रकबा 365 बीघा 4 बिस्वा पर वादीगण एवं उनके पूर्वजों का जागीर के समय से और अधिनियम, 1955 लागू होने के समय से कब्जा काश्त चलता आ रहा है। राजस्व रिकार्ड में त्रुटिपूर्ण तरीके से रकबा 365 बीघा 4 बिस्वा के स्थान पर 288 बीघा 4 बिस्वा अंकित कर दिया गया है और इस प्रकार से 77 बीघा रकबा कम दर्ज कर दिया गया है। खसरा नम्बर 625 का 77 बीघा रकबा संलग्न

नक्शे में उत्तर में – वादीगण के स्वयं का खेत, दक्षिण में – खसरा नम्बर 631/1, पूर्व में– खसरा नम्बर 634, 635, पश्चिम में खसरा नम्बर 626/1763 है। वादपत्र में अनुतोष चाहा कि इस 77 बीघा रकबे को जो नक्शे में ए, बी, सी, डी से दर्शाया है पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये। राज्य पक्ष की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत किया कि खसरा नम्बर 625 का रकबा भू प्रबन्ध से ही 288 बीघा 4 बिस्वा है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वादीगण का कथन निराधार है कि खसरा नम्बर 625 का रकबा 365 बीघा 4 बिस्वा रहा हो। परीक्षण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 3–5–2006 से दावा वादी खारिज किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, (बाडमेर–जैसलमेर), मु0 जोधपुर द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 27–09–2006 से अपील खारिज की गई। इसके विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील मूल वाद के वादी पक्ष के द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता वादीगण/अपीलार्थी ने निवेदन किया कि खसरा नम्बर 625 का कुल रकबा 365 बीघा 4 बिस्वा वादीगण के कब्जा काश्त खातेदारी का रहा है, जिसे राजस्व रिकार्ड में त्रुटिपूर्ण तरीके से 365 बीघा 4 बिस्वा के स्थान पर 288 बीघा 4 बिस्वा अंकित कर दिया गया है और इस प्रकार से वादी का रकबा 77 बीघा रकबा कम दर्ज कर दिया गया है। नक्शे एवं माप के अनुसार खसरा नम्बर 625 का कुल रकबा आज भी 365 बीघा है और अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त में है। वादीगण द्वारा खसरा नम्बर 25 में जो 77 बीघा रकबा चाहा गया था उसका नक्शा व दिशाऐं पेश की हैं किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने वाद के “पिथ एण्ड सबटेन्स” को समझे बिना ही निर्णय पारित किए हैं। वादपत्र के जो अभिकथन रहे हैं उनके अनुसार तनकियात कायम नहीं की गई हैं। परीक्षण न्यायालय ने आदेश पारित करते समय आदेश 20 नियम 5, जाप्ता दीवानी एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41, नियम, जाप्ता दीवानी के सुसंगत प्रावधानों की अनुपालना नहीं की है। अन्त में योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय निरस्त कर, दावा वादी डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

5– रैस्पो0/प्रतिवादी पक्ष के योग्य राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 625 का कुल रकबा भू प्रबन्ध के पूर्व से ही रकबा 288 बीघा 4 बिस्वा रहा है और भू प्रबन्ध के बाद रकबे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। भू प्रबन्ध के मिसल बन्दोबस्त में खसरा नम्बर 625 का रकबा 288 बीघा 4 बिस्वा दर्ज रहा है और मिलान क्षेत्रफल में भी रकबा 288 बीघा 4 बिस्वा अंकित रहा है। ग्राम भणियाणा भू प्रबन्ध के बाद में ग्राम दूधली की ढाणी नव–सृजित हुआ है। खसरा नम्बर 625 का रकबा 365 बीघा 4 बिस्वा कभी नहीं रहा है। वादीगण ने अपने इस कथन की पुष्टि के लिए किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अतः परीक्षण न्यायालय द्वारा तथ्यों व रिकार्ड के आधार पर वादी के वाद को खारिज किया है और इस निर्णय की पुष्टि करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने किसी प्रकार की भूल नहीं की है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष लेते हुये अपने निर्णय पारित किए हैं और समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है, अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन, अध्ययन किया गया।

7– हस्तगत प्रकरण में वादी/अपीलार्थीगण द्वारा वादपत्र मुख्य रुप से इस आशय का प्रस्तुत किया है कि खसरा नम्बर 625 का भू प्रबन्ध से पूर्व कुल रकबा 365 बीघा 4 बिस्वा वादीगण एवं उनके पूर्वजों के कब्जा काश्त का रहा है जिसे भू प्रबन्ध कार्यवाही में राजस्व रिकार्ड में त्रुटिपूर्ण तरीके से रकबा 365 बीघा 4 बिस्वा के स्थान पर 288 बीघा 4 बिस्वा अंकित कर दिया गया है और इस प्रकार से 77 बीघा रकबा कम दर्ज कर दिया गया है। वादीगण द्वारा इस 77 बीघा रकबे पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था। पैरोकार सरकार का कथन रहा है कि वादी का रकबा साबिक में भी 288 बीघा 4 बिस्वा था और हाल राजस्व रिकार्ड में भी 288 बीघा 4 बिस्वा ही है। रकबे को भू प्रबन्ध के बाद कम नहीं किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध सत्य प्रति खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 1955 से 1974 के अनुसार खसरा नम्बर 625 रकबा 288 बीघा 4 बिस्वा खातेदार के कॉलम में बगत सिंह वल्द पनेसिंह कौम राजपूत सा0 देह पसायतेदार अंकित है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 625 रकबा 288 बीघा 4 बिस्वा अंकित है किन्तु ये नहीं बताया गया है कि ये किस साबिक खसरा नम्बर से कायम किया गया है। जमाबंदी वर्ष 2006 में खसरा नम्बर 625 रकबा 288 बीघा 4 बिस्वा वर्तमान अपीलार्थीगण भोजराज सिंह वगैरा के नाम अंकित है। प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2055–58 में भी ासरा नम्बर 625 रकबा 288 बीघा 4 बिस्वा वर्तमान अपीलार्थीगण भोजराज सिंह वगैरा के नाम अंकित है। वादीगण का मुख्य रुप से यही कथन रहा है कि वर्तमान खसरा नम्बर 625 का भू प्रबन्ध से पूर्व कुल रकबा 365 बीघा 4 बिस्वा था जिसे 77 बीघा कम करते हुये खसरा नम्बर 625 रकबा 288 बीघा 4 बिस्वा कायम किया गया है, किन्तु वादीगण द्वारा ऐसा कोई रेकार्ड पेश नहीं किया है जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती हो कि साबिक खसरा नम्बर 625 का भू प्रबन्ध से पूर्व कुल रकबा 365 बीघा 4 बिस्वा रहा हो। वादीगण द्वारा अपने पक्ष की पुष्टि के लिए मौखिक साक्ष्य के रुप में शपथ पत्र अवश्य प्रस्तुत किए हैं जो कि वादपत्र के कथनों के अनुसार ही कथन करते हैं किन्तु इन शपथ पत्रों की पुष्टि के रुप में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में इन शपथपत्रों के कथनों पर विश्वास कर दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य नहीं रहता है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित हों एवं उनमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक या कानून सम्बन्धी भूल स्पष्ट नजर नहीं आ रही हो, वहॉ द्वितीय अपील में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। न्यायिक दृष्टान्त आर0बी0जे0 2007 (14) पेज 35 (एच0सी0), 2002 आर.आर.डी पेज 52 उच्च न्यायालय, 2007 आर.आर.डी पेज 587 उच्च न्यायालय व अन्य अनेकों दृष्टान्तों में अभिनिर्धारित किया गया है। फलतः हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थी सारहीन पाए जाने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य